मंत्रालय द्वारा जुलाई 2023 के माह के दौरान शुरू की गई महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नलिखित है:

1. किशोर न्याय अधिनियम पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का शुरुआत

माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई 2023 को कर्मयोगी आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर मंत्रालय द्वारा एलबीएसएनएए, मसूरी के सहयोग से तैयार किये गए जेजे अधिनियम पर एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्घाटन और इसकी शुरुआत की गयी थी । इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का उद्देश्य उन सभी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाना और उनमे क्षमता निर्माण करना है, जिन्हें ग्राम स्तर तक बाल सुरक्षा, संरक्षण और कल्याणकारी अधिकार के प्रावधानों के बारे में अवगत होने की आवश्यकता है।

2. बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी

मंत्रालय ने जुलाई 2023 के माह के दौरान बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के मुद्दों के बारे में जागरूकता एवं पहुंच बढ़ाने के लिए दिल्ली, भोपाल, मुंबई और रांची में एक दिवसीय क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। इस संगोष्ठी में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी), किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) के प्रतिनिधियों, ग्राम बाल संरक्षण समिति (वीसीपीसी) के सदस्यों और आंगनवाड़ी कार्यकार्त्रियो ने भाग लिया। कार्यक्रम का फोकस किशोर न्याय अधिनियम, नियमों में संसोधनों पर था। ऐसे भावी दत्तक माता-पिता जिन्हें सितंबर, 2022 में संशोधन के बाद एक त्वरित समाधान प्राप्त हुआ था उनके द्वारा गोद लेने की प्रक्रियाओं पर इसके प्रभाव को उनके द्वारा साझा किए गए अनुभवों में उजागर किया गया था।

****